



2026:AHC-LKO:19321

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक अपील संख्या – 350 वर्ष 2026

शैलेन्द्र कुमार यादव उर्फ छोटे यादव

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से प्रधान सचिव,

गृह विभाग, लखनऊ तथा अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता

: सैयद तमजीद अहमद, आदिल अब्बास

प्रतिवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, अली मसूद वामिक
वारसी, अमजद सिद्दीकी, सौरभ शर्मा,
विष्णु प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से आज प्रस्तुत प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमजद सिद्दीकी, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, दिनांक 21.01.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, बाराबंकी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 128 वर्ष 2026 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15 वर्ष 2026, धारा 119(1), 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(2)(व), 3(1)(र), 3(1)(स) अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना देवा, जनपद बाराबंकी से संबंधित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलकर्ता को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि पूर्व में सूचनाकर्ता ने अभियोजन के समर्थन में कथन दिया था, परंतु पश्चात उसने पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कहा कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। यह भी कहा गया कि सूचनाकर्ता की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई। यह भी निवेदित किया गया कि अन्य कथित पीड़ित का उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया तथा तत्पश्चात उसने स्वयं निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराया, जहाँ चिकित्सक द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि घायल कासिम के सिर पर पाई गई चोट जीवन के लिए घातक नहीं थी। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध तीन आपराधिक प्रकरणों का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा वह दिनांक 10.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा किसी साक्षी अथवा प्रकरण से संबंधित किसी व्यक्ति को भयभीत या प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाए तथा अपीलकर्ता को जमानत प्रदान की जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का तीव्र विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट की तथा उसे अपशब्द कहे। यह भी कहा गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः अपीलकर्ता जमानत का अधिकारी नहीं है और अपील निरस्त

किए जाने योग्य है। तथापि, वे अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अन्य तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप भी सम्मिलित हैं, के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में सूचनाकर्ता ने अभियोजन के समर्थन में कथन दिया था, परंतु उसके पश्चात उसने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शपथपत्र देकर कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई; सूचनाकर्ता की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई; अन्य घायल का उपचार जिला चिकित्सालय एवं तत्पश्चात निजी चिकित्सालय में हुआ, जहाँ चिकित्सक ने अभिमत दिया कि पाई गई चोट जीवन के लिए घातक नहीं थी; अपीलकर्ता ने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है तथा वह दिनांक 10.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है और उसने आश्वासन दिया है कि जमानत मिलने पर वह दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। इन परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप, दिनांक 21.01.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, बाराबंकी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15 वर्ष 2026, धारा 119(1), 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(2)(व), 3(1)(र), 3(1)(स) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना देवा, जनपद बाराबंकी से उत्पन्न जमानत आवेदन सं-128/2026 में पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि अपीलकर्ता **शैलेन्द्र कुमार यादव उर्फ छोटे यादव** को उपर्युक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या में निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- (1) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (2) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (3) अपीलकर्ता अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (4) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (5) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।
- (6) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (7) अपीलकर्ता साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।
- (8) अपीलकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश जमानत प्रदान किए जाने से संबंधित है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी तथा विचारण न्यायालय इनसे प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

17 मार्च, 2026

के के वी

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)